दिनाक: 26 मई, 2014 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1
संख्या–630/79–वि–1–14–2(क)7/2014
लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 2014

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2014) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

एस0बी0 सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या–630(1)/79–वि–1–14–2(क)7/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– प्रमुख सचिव, राज्यपाल , उत्तर प्रदेश।
8– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9– संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(एस0के0 विश्वकर्मा)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश , 2014

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या . . . . 4 . . . . .सन् 2014)

(भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब , संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके , राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1	(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 कहा जायेगा । (2) धारा 2 के खण्ड (ग) का उपखण्ड (एक), धारा 7 एवं धारा 10 दिनांक 01 जनवरी, 2008 से प्रभावी मानी जायेगी एवं अवशेष उपबन्ध तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे ।
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन	2	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा , की धारा 2 में,- (क) खण्ड (ड.) में, उपखण्ड(तीन) के पश्चात् निम्न उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- " (चार) कारबार बन्द होने के पश्चात् किया गया संव्यवहार ,यदि ऐसे माल के विकय से संबंधित है , जिन्हें उस अवधि में अर्जित किया गया हो जबकि कारबार चल रहा था । " (ख) खण्ड (ज) के उपखण्ड (नौ) के स्थान पर निम्न उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:- "(नौ) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक(एयर कार्गो आपरेटर), कूरियर सर्विस प्रोवाइडर, जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता प्रकट करने में विफल होता है या पारेषक या पारेषिती का ऐसा प्रकटित नाम या पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय पाया जाता है, या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी, जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को सौंपने में असफल रहा हो **या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है ।**

		(ग) खण्ड (कछ) में ,- (एक) उपखण्ड (एक) में शब्द " विकय आवर्त " के स्थान पर शब्द " बिक्रय या क्रय या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त " रख दिए जायेंगे । (दो) उप खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- " (चार) धारा 3-ख के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की धनराशि । "
धारा 3 का संशोधन	3	मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,- (क) सारिणी में, क्रमांक 8 में, स्तम्भ-2 में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :- "(एक) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए अथवा पारेषक या पारेषिती का ऐसा उद्घाटित नाम या पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न पाया जाए या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को उसको प्रदान करने में विफल रहा हो, **या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और** यथा**विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है ।"** (ख) स्पष्टीकरण (1) में शब्द और अंक "उपधारा (5)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (4)" रख दिये जायेंगे ।
धारा 3-क का संशोधन	4	मूल अधिनियम की धारा 3-क में,- (क) उपधारा (2) के खण्ड (ख) को निकाल दिया जायेगा । (ख) उपधारा (5) को निकाल दिया जायेगा ।
नई धारा 3-ख का बढ़ाया जाना	5	धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- " **3-ख उपकर का उद्ग्रहण** (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त पेट्रोल या डीजल या दोनों की बिक्री पर पॉच रुपये प्रति लीटर से अनधिक दर पर तथा बिक्री के ऐसे बिन्दु पर जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उपकर के भुगतान का दायी होगा ।

		(2) उपधारा (1) के अधीन उपकर का उद्ग्रहण एवं भुगतान केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।"
धारा 4 का संशोधन	6	मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक हटा दिया जायेगा ।
धारा 6 का संशोधन	7	मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1)के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- " (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशो के अधीन रहते हुए कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे कर के बदले में जो व्यवहारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के संबंध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, इस अधिनियम के अधीन देय हो सकती है, या तो एकमुश्त या बिक्रय या क्रय या दोनो जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है : प्रतिबन्ध यह है कि संकर्म संविदा का निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी जो राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारी से माल क्रय करने के पश्चात् राज्य के भीतर माल के पुनः विकय का एकमात्र कारबार करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक न होता हो, या उसका आवर्त कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हुआ है, तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है । विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं : प्रतिबन्ध यह और भी है कि कर की दर में कोई परिवर्तन, जो ऐसी सहमति के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो सकता है, एकमुश्त या करनिर्धारण की अवधि के उस भाग के संबंध में , जबकि परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सहमत दर से समानुपाती परिवर्तन करने के परिणाम स्वरुप होगा ।"
नई धारा 8-क का बढ़ाया जाना	8	मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- "8-क प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र के गलत या मिथ्या उपयोग पर दायित्वः (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी और धारा 54 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या नियमों या उसके अधीन निर्गत अधिसूचना के अधीन निर्धारित मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र दूसरे व्यक्ति को जारी करता है जिसके कारण इस अधिनियम

		के अधीन यथास्थिति , क्रय या विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर उद्ग्रहणीय रह जाता है, उस धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो यथास्थिति, ऐसे क्रय या विक्रय पर कर के रुप में देय होती, यदि ऐसा प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया होता : प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन देय धनराशि के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जायेगा और न ही अनुमन्य होगा । **स्पष्टीकरण** : जहाँ प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी करने वाला व्यक्ति क्रय किए गए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन , जिसके लिए कोई कर देय न होगा या रियायती दर से देय होगा , से भिन्न प्रयोजन के लिए करे तो प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा । "
धारा 13 का संशोधन	9	मूल अधिनियम की धारा 13 में,- (क) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:- "(11) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि असत्य है या विश्वास के योग्य नहीं है, वहाँ ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात और ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् वह लिखित रूप से आदेश करके यथास्थिति, इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का अवधारण कर सकता है ।" (ख) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- " (12) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के कारण या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण सम्बन्धी सर्वोत्तम न्याय की दशा में खरीद के बढ़ाये गये आवर्त पर उद्ग्रहीत कर के जमा किए जाने से या अन्यथा , इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि परिवर्तित हो जाती है, वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब को तद्नुसार संशोधित कर दिया जायेगा । "
धारा 17 का संशोधन	10	मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (14) में, स्पष्टीकरण (दो) में ,- (क) उपखण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- "(च) कारबार का स्वामी है और ऐसा कारबार ऐसे स्वामी के अक्षम होने या

		मृत्यु हो जाने के कारण उसके मालिक के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है।" (ख) शब्द "ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार " के स्थान पर शब्द " ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीगण, जैसी भी स्थिति हो " रख दिये जायेंगे ।
धारा 28 का संशोधन	11	मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- "प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी व्यापारी का सकल आवर्त पच्चीस लाख रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, से अधिक नहीं है, वहां कमिश्नर ऐसे व्यापारियों की लेखाबहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वार्षिक कर निर्धारण के लिए व्यापारियों को चयनित करने के लिए मानक एवं रुपात्मकता अवधारित करेंगे: अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 26 में निहित किसी बात के होते हुए भी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन चयनित न किए गए व्यापारी कर निर्धारण वर्ष , जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक को दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है , के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को कर निर्धारित किये गये माने जायेंगे ।"
धारा 29 का संशोधन	12	मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (12) में, शब्द एवं अंक " धारा 28 में यथाविहित " के स्थान पर शब्द " इस धारा में यथा उपबन्धित " रख दिया जायेगा ।
धारा 33 का संशोधन	13	मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :- " **स्पष्टीकरण :** इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, किसी कर अवधि या कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत रुप से देयकर की गणना धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसमें धारा 8-क के अधीन देय धनराशि सम्मिलित होगी ।"
धारा 42 का संशोधन	14	मूल अधिनियम की धारा 42 में, उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- "(15) (क) कमिश्नर हकदारी प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा, करमुक्ति या कर की दर में कमी की अवधि के समाप्त होने के पूर्व अथवा पश्चात , संशोधित या निरस्त कर सकता है, यदि यह पाया जाता है कि -

		(1) कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के स्थान पर वापसी की सुविधा का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप गलत धनराशि की वापसी हो गयी हो ; (2) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के परिप्रेक्ष्य में जारी पात्रता प्रमाण पत्र को सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा रद्द अथवा संशोधित कर दिया गया हो ; (3) हकदारी प्रमाण पत्र को दुर्व्यपदेशन के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया हो : प्रतिबन्ध यह है कि हकदारी प्रमाण पत्र को व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना संशोधित अथवा रद्द नहीं किया जायेगा। (ख) खण्ड (क) के अधीन पारित आदेश इसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से प्रभावी होगा : प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पारित कोई आदेश उन घटनाओं के घटित होने के पूर्व के दिनांक से प्रभावी नहीं होगा जिनके कारण हकदारी प्रमाण पत्र को संशोधित या निरस्त किया गया है। (ग) धारा 57 एवं धारा 58 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (क) में पारित आदेश अन्तिम होगा।"
धारा 48 का संशोधन	15	मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (5) में शब्द "ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक " के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक अथवा ऐसे माल के मूल्य पर अधिनियम के अधीन संदेय कर, जो भी अधिक हो " रख दिये जायेंगे।
धारा 50 का संशोधन	16	मूल अधिनियम की धारा 50 में,- (क) उपधारा (2) में,- (एक) खण्ड (क) में, शब्द "ऐसे घोषणा पत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जॉय, अपने साथ रखेगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे सम्यक रुप से भरे हुए घोषणापत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "ऐसे प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे सम्यक रुप से भरे हुए प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में शब्द " रोकने" के स्थान पर शब्द "अभिग्रहण " रख दिया जायेगा।

धारा 54 का संशोधन

17 मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में, तालिका में ,-

(क) क्रम संख्या 5 एवं 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र0सं0	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
5	जहां व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार- (एक) कर बीजक या विकय बीजक जारी करने में विफल हो गया हो या जानबूझकर जारी न किया हो; या (दो) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए इस अधिनियम के अधीन करयोग्य माल का कय करते समय जानबूझकर कर बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से प्राप्त नहीं किया हो; (तीन) कय बीजक जारी नहीं किया है।	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
6	व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार माल के सम्प्रेषण या परिदान के संबंध में चालान, अन्तरण बीजक या परिवहन मेमो जारी करने में विफल हो गया हो;	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(ख) क्रम संख्या 14 एवं 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ

स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र0सं0	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
14	जहां, यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति - (एक) (क) ऐसा माल ;या (ख) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल; के विक्रय पर कर संदाय के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या धारा 51 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या उसके आयात का दुष्प्रेरण करता है ; या (दो) इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कराधेय माल का परिवहन करता है , परिवहन करने का प्रयास करता है;	(क) पंजीकृत व्यवहारी के मामले में - (एक) माल के मूल्य का 15 प्रतिशत, यदि माल अनुसूची-दो अथवा अनुसूची-तीन में वर्णित प्रकार का है ; (दो) माल पर उद्ग्रहणीय कर की दर का दोगुना , यदि माल अनुसूची-पॉच में वर्णित प्रकार का हैं ; (तीन) माल के मूल्य पर संदेय कर के बराबर की धनराशि, यदि माल पर कर की दर 40 प्रतिशत से अधिक है ; (चार) किसी अन्य मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत (ख) पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति के मामले में, माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

		15	जहां, यथास्थिति चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति - (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए हैं; (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है ; या (तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है ; या (चार) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार होते हुए, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो :	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
		(ग) क्रमांक 21-ख की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-		

क्र0सं0	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
21-ख	जहां यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति ने कर के भुगतान का अपवंचन करने	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य

			के आशय से सुसंगत समय में स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां संव्यवहार हुआ है, में प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक माल का अवमूल्यन करते हुए यथास्थिति, कोई कर बीजक या विक्रय बीजक या माल मूल्य से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्राप्त किया हो।	का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
धारा 57 का संशोधन	18	मूल अधिनियम की धारा 57 में,- (क) उपधारा (4) में शब्द और अंक " धारा 42" के स्थान पर शब्द और अंक " धारा 42 की उपधारा (3) और उपधारा (15)" रख दिये जायेंगे। (ख) उपधारा (12) में, खण्ड (घ) में, शब्द और अंक " धारा 42 के अधीन पारित आदेश " के स्थान पर शब्द और अंक " धारा 42 के अधीन कमिश्नर द्वारा पारित आदेश " रख दिये जायेंगे।		
धारा 70 का संशोधन	19	मूल अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- "70. राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि में वर्णित वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी या अनुसूची-पॉच में समाहित वस्तुओं के लिए वस्तु कोड समनुदेशित कर सकती है।"		

बी0 एल0 जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।